71

न्यायलय माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुर्नरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता की ओर से :-

PBR/निगरानी/धार/भू.रा.सं./2017/1962

राजेन्द्रसिह पिता शम्भुसिंह जाति राजपुत

निवासी जलोद तह बदनावर जिला धार :-याचिकाकर्ता

विरूद्व

1-महेन्द्रसिंह पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपुत

2-लोकेन्द्रसिंह पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपुत

दोनो निवासी ग्राम जलोद तह बदनावर जिला धार :- विपक्षीगण

पुर्नरीक्षण धारा 50 म.प्र.भु.रा.सं. के तहत्

आज दि. 28-6-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीय महोदय,

यह पुर्नरीक्षण याचिंका अधिनस्थ विद्वान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील बदनावर के राजस्व प्रकरण कमांक 22/अ-6/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 12.4.2017 के विरूद्व श्रीमान के समक्ष अंदर अवधि सविनय पेश है।

प्रकरण के तथ्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निग/धार/भू.रा./2017/1962 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–4–2017 की सत्यप्रतिलिपित का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनेक अवसर दिये जाने के पश्चात् भी उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर आपत्तियॉ प्रस्तुत की जाती रही हैं । दिनांक 12–4–17 को भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे अमान्य कर आवेदक की साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही नहीं की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	